भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3872

17 मार्च, 2020 को उत्तरार्थ

विषय: भारत में किसानों द्वारा आत्महत्या

3872. डॉ. के. जयकुमारः

श्री संजय जाधव

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पुनर्वास और ऋण राहत पैकेज के कार्यान्वयन के बावजूद देश के कई हिस्सों से किसानों द्वारा आत्महत्या की रिपोर्ट प्राप्त हुई है और यदि हां, तो वर्ष 2004 से अब तक का ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) चालू वर्ष के दौरान किसानों की आत्महत्या के कितने मामले प्रकाश में आए हैं;

(ग) क्या देश में किसानों की आत्महत्या से संबंधित आंकड़े इसमें वृद्धि या कमी का संकेत देते हैं;

(घ) किसान आत्महत्याओं में वृद्धि की स्थिति में इस पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) क्या सरकार का किसानों को सहायता प्रदान करने और उन्हें आत्महत्या करने से रोकने के लिए अतिरिक्त उपाय करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (ग): गृह मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) आत्महत्या संबंधी सूचनाओं का संकलन और प्रसार करता है जिसे ''भारत में दुर्घटनावश मृत्यु एवं आत्महत्या''(एडीएसआई) शीर्षक के माध्यम से प्रकाशित किया जाता है। इसके वेबसाईट पर 2018 तक की आत्महत्याओं से संबंधित सूचनाएं उपलब्ध हैं।

(घ) और (ड): कृषि राज्य का विषय होने के कारण राज्य सरकार राज्य में कृषि के विकास के लिए उपयुक्त उपाय करती हैं। हालाँकि, भारत सरकार उपयुक्त नीतिगत पहलों तथा बजटीय सहयोग के माध्यम से राज्य सरकार के प्रयासों की सहायता करती है। भारत सरकार विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों की सहायता करती है। भारत सरकार की विभिन्न स्कीम/कार्यक्रम किसानों के कल्याणार्थ है जिससे उत्पादन में वृद्धि, लाभकारी रिटर्न तथा किसानों को आय सहायता मिलती है। सरकार द्वारा शुरु की गई विभिन्न पहलों की सूची **अनुबंध- I** पर है। भारत सरकार के ये सभी उपाय देश के किसानों के कल्याणार्थ हैं।

अताप्र.सं. 3872

अनुबंध-I

<u>किसानों के लाभ के लिए शुरू किए गए विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं की सूची</u>

i. देश भर में सभी किसान परिवारों को आय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने नई केंद्रीय क्षेत्रक योजना अर्थात् प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) शुरू की है ताकि उन्हें कृषि और संबद्ध कार्यकलापों के साथ-साथ घरेलू आवश्यकताओं से संबंधित खर्चों को वहन करने में सक्षम बनाया जा सके। इस योजना का लक्ष्य उच्च आय समूह से संबंधित कतिपय अपवर्जनों के अधीन किसान परिवारों को प्रति वर्ष 4 माह के अंतराल पर 2000 रुपए की तीन मासिक किस्तों में 6000/- रुपए की राशि का भुगतान करना है।

ii. इसके अलावा, सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के प्रयोजनार्थ इन किसानों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करने के लिए एक अन्य नई केन्द्रीय क्षेत्रक योजना अर्थात् प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (पीएम-केएमवाई) कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है क्योंकि उनके पास ऐसी कोई बचत नहीं होती है कि वे अपनी आजिविका का साधन समाप्त होने पर वृद्धावस्था में अपनी जरूरतें पूरी कर सकें। इस स्कीम के तहत पात्र 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर कतिपय अपवर्जन उपखंडों (एक्सक्लूजन क्लॉज) के अधीन लघु और सीमांत किसानों को प्रति माह न्यूनतम 3000/- रूपए की निर्धारित पेंशन दी जाएगी।

iii. जोखिम कम करने के लिए फसलों को बेहतर बीमा कवरेज प्रदान करने के उद्देश्य से खरीफ, 2016 मौसम से फसल बीमा योजना नामत: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) की शुरूआत की गई थी। इस योजना में विशिष्ट स्थितियों में फसलोपरांत जोखिमों सहित फसल चक्र के सभी चरणों के लिए बीमा कवर प्रदान किया जाता है और किसानों को बहुत कम प्रीमियम अंशदान देना पड़ता है।

iv. किसानों की आय को बढ़ाने के लिए सरकार ने 2018-19 के मौसम से सभी खरीफ और रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को उत्पादन की लागत का कम से कम 150 प्रतिशत तक बढ़ाने की मंजूरी दी है।

v. किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड के वितरण की फ्लेगशिप स्कीम का कार्यान्वयन करना ताकि उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके।

vi. 'प्रति बूंद अधिक फसल" पहल जिसके तहत जल के ईष्टतम उपयोग के लिए तथा इनपुट की लागत को कम करने तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

vii. "परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)" जिसके अंतर्गत जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है।

viii. किसानों को इलेक्ट्रॉनिक पारदर्शी व प्रतिस्पर्द्धात्मक ऑनलाइन व्यापार मंच उपलब्ध कराने के लिए ई-नाम की शुरूआत की गई है।

ix. ''हर मेढ़ पर पेड़'' के अंतर्गत अतिरिक्त आय के लिए कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारतीय वन अधिनियम, 1927 में संशोधन होने के साथ ही बांस को वृक्षों की परिभाषा से हटा दिया गया। वर्ष 2018 में पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन की शुरूआत की गई है ताकि गैर-

वन्य सरकारी एवं साथ ही निजी भूमि पर बांस रोपण को बढ़ावा दिया जा सके और मूल्य संवर्धन, उत्पाद विकास और बाजारों पर बल दिया जा सके।

x. किसान हितैषी कार्यकलापों को गति प्रदान करने के लिए सरकार ने एक नई केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम- "प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)" का अनुमोदन किया है। इस योजना का उद्देश्य केंद्रीय बजट, 2018 में की गई घोषणा के अनुसार किसानों को अपनी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है। किसानों की आय को संरक्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाया गया यह एक अभूतपूर्व कदम है और यह किसानों के कल्याण के लिए मील का पत्थर साबित होगा।

xi. मधुमक्खी पालन कार्यक्रम को परागण के जरिए फसलों की उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आय के अतिरिक्त स्रोत के रूप में शहद के उत्पादन में वृद्धि करने के प्रयोजनार्थ समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है।

xii. पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें बैंकों ने लगातार वार्षिक लक्ष्य से अधिक उपलब्धि दर्ज की है। वित्तीय वर्ष 2019-20 का कृषि ऋण प्रवाह लक्ष्य 13.50 लाख करोड़ रूपये और वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 15.00 लाख करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है।

xiii. किसानों को अधिक से अधिक संस्थागत ऋण उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है तथा इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार 3.00 लाख रूपए तक के अल्पावधि फसल ऋण पर किसानों को ब्याज में 2 प्रतिशत की छूट देती है। इस समय किसानों के लिए शीघ्र ऋण अदायगी करने पर प्रतिवर्ष 4 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध है।

xiv. इसके अलावा, ब्याज छूट स्कीम 2018-19 के तहत प्राकृतिक आपदा होने पर किसानों को राहत दिए जाने के लिए पुनर्संरचित राशि पर एक वर्ष के लिए बैंकों को ब्याज पर 2 प्रतिशत छूट देने की व्यवस्था जारी रहेगी। किसानों द्वारा अपने उत्पादों को मजबूरी में बेचने से रोकने और नेगोसिएबल रसीदों पर गोदामों में अपने उत्पादों का भंडारण करने के प्रयोजनार्थ किसान क्रेडिट कार्ड धारक छोटे एवं सीमांत किसानों को अगले 6 माह की अवधि हेतु इसी दर पर फसलोपरांत ऋण उपलब्ध होंगे।

xv. सरकार ने पशुपालन और मात्स्यिकी से संबंधित कार्यकलाप करने वाले किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की सुविधा देने का अनुमोदन किया है। केसीसी के नवीनीकरण के लिए प्रोसेसिंग फीस, निरीक्षण, लेज़र फोलियो चार्ज और अन्य सभी सर्विस चार्ज माफ कर दिए गए हैं। लघु अवधि के कृषि-ऋण के लिए संपार्श्विक ऋण शुल्क की सीमा 1.00 लाख रु. से बढ़ाकर 1.60 लाख रु. कर दी गई है। पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के 14 दिन के भीतर केसीसी जारी कर दिया जाएगा।

****